न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 70/2021

1. मोहन लाल पुत्र स्व0 रामधन जाति रैगर निवासी साखूल तहसील दूदू जिला जयपुर ।

(प्रार्थी/निगरानीकार)

बनाम

1. ग्राम पंचायत साखून जरिये सरपंच साखून, पं0 स0 दूदू, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी हरसुख जाति रैगर निवासी ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

(अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व निर्णय मिसल संख्या 40 दिनांक 10.12.1997 के आधार पर पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.02.98 ग्राम पंचायत साखून, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर ।

1. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार ।

निर्णय **दिनांक :– 18.02.2026**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून, प.स. दूदू जिला जयपुर ने निर्णय मिसल संख्या 40 दिनांक 10.12.1997 के आधार पर पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.02.98 विपक्षी संख्या 2 के हक मे पट्टा जारी किया है। उसी भूमि का पूर्व आबादी भूमि का विक्रय विलेख अनुसूचित जाति व जन जाति व श्रमिक कारिगरों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड दिनांक 31.12.1974 को पूर्व राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 की धारा 71 के तहत प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। उसी भूमि का ग्रम पंचायत साखून का पूर्व में जारी किये पट्टे को भूमि पुनः विपक्षी नम्बर 2 के नाम जारी करने में अहम कानूनी भूल की है। इस प्रकार पूर्व जारी पट्टे एवं कब्जेशुदा भूमि पुनः पट्टा जारी किया जाना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। पूर्व में निगरानीकार के हक में दिनांक 31.12.1974 को जारी किये गये पट्टे की सीमायें उत्तर में सोना रैगर का प्लॉट, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में रास्ता एवं पश्चिम में रास्ता है। उसके पूर्व में एक पट्टा फूला वेवा छीतर रैगर को जारी किया है उसके पश्चिम में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता, उत्तर में भागीरथ रैगर व दक्षिण मौहल्ला रैगर स्थित बताया है। उक्त पट्टा भी दिनांक 31.12.1974 को जारी किया हुआ है तथा निगरानीकार का खाम मकान व बाडा बना हुआ है जिसके चारों

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

और बाउण्ड्री व पक्की दीवार है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि निगरानीकार की पूर्व जारी पट्टे पर पुनः विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 10.12.1997 को जारी करना यह कतई गलत है। उक्त पश्चातवर्ती पट्टा संख्या 7 जो निर्णय दिनांक 10.12.1997 को ग्राम पंचायत ने जारी किया है उसमें राजस्थान पंचायत राज रूल 1996 को रूल 141, 146, 147 व 148 की पालना नहीं कर सीधे ही विपक्षी नम्बर 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.1997 को दिया और उसी दिन पत्रावली कोरम के समक्ष दर्ज करके उसी दिन मौका नक्शा हेतु 3 पंचों की नियुक्ति किया है तथा उसी दिन ही दो पंचों दिनांक 10.12.1997 को मौका देखा। इस प्रकार सम्पूर्ण कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करके सारी कार्यवाही एक ही दिन में की है जो सरासर गलत है। रूल 148 के तहत 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी करना था जो दिनांक 25.12.1997 को जारी करना बताया है तथा उसके पश्चात कोई अस्थाई निर्णय पारित नहीं कर कैसे सीधे ही अन्तिम निर्णय दिनांक 25.01.1998 ग्राम पंचायत साखून ने विपक्षी संख्या 2 के नाम उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा एवं पट्टे पर पट्टा जारी करने में अहम कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत साखून द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जारी किये पट्टे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व में हीरा कौम रैगर का बाडा एवं दक्षिण में निगरानीकार मोहन लाल रैगर का बाडा बताया है तथा उत्तर में रास्ता बताया है जबकि निगरानीकार को जो दिनांक 31.12.1974 को जारी किया है उसके तीन ओर रास्ता क्रमशः पश्चिम, दक्षिण व पूर्व में रास्ता है तथा उत्तर में सोना रैगर का प्लॉट बताया है जबकि स्पष्ट है कि निगरानीकार का बाडा विपक्षी संख्या 2 के बाडे के पूर्व से ही था जबकि उसी दिनांक 31.12.1974 माना पुत्र रामधन का बाडे का पट्टा जारी किया है जिसमें पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, दक्षिण में सोना रैगर का बाडा व उत्तर में फूला रैगर का बाडा दर्शाया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी नम्बर 2 को जो पट्टा जारी किया है वह पूर्व में दिनांक 31.12.1974 को जारी किये गये पट्टों को अविरलेप करते है तथा विपक्षी नम्बर 2 को बिना कब्जे के आधार पर 25.01.1998 को जारी करने का ग्राम पंचायत निर्णय अवैध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर एवं न्याय सिद्वांतों के विपरित है। विपक्षी संख्या 2 ने उक्त जारी पट्टे के आधार पर निगरानीकार के विरूद्ध एक दावा सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू के यहॉ एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका नोटिस दिनांक 21.12.2016 को मिला जिसमें उक्त विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 10.02.1998 को ग्राम पंचायत साखून द्वारा जारी करना बताया हैं। निगरानीकार ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु सचिव ग्राम पंचायत साखून उक्त विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की नकल देने के लिये टाल–मटोल करता रहा, उसके पश्चात निगरानीकार के पुत्र जितेन्द्र ने दिनांक 07.01.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ग्राम पंयायत साखून को 20/– रूपये के पोस्टल आर्डर संख्या 19जी–701464 के तहत आवेदन किया एवं एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत साखून को दिया जिसमें सचिव ने दिनांक 31.01.2017 मूल प्रार्थना पत्र नोट वादी के पट्टा की कॉपी नहीं दे सकते है। माननीय सूचना आयोग के आदेशानुसार प्रार्थी को पट्टा संख्या 7 मिसल संख्या 40/10.02.1997 को जारी किया हुआ है का अंकन करके प्रार्थना पत्र निगरानीकार का वापिस लौटा दिया। उक्त पट्टा संख्या 7 मिसल संख्या 40 दिनांक 10.12.1997 की प्रमाणित प्रति के अभाव में ही उक्त निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। सिविल न्यायाधीश एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू के यहॉ मौका कमिश्नर दिनांक 26.12.2016 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर निगरानीकार का ही कब्जा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टा विपक्षी संख्या 2 के कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगरानीकार की कब्जेशुदा एवं पट्टे शुदा भूमि पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.12.

अतिरिक्त जिला कलक्टर

1997 की मिसल संख्या 40 के द्वारा जारी किया है उसे निरस्त फरमाया जाकर अन्य आदेश निगरानीकार के पक्ष में पारित किया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी रजिस्टर्ड लिफाफें पर प्राप्त कर्ता द्वारा नोटिस लेने से इन्कार का अंकन होकर मूल लिफाफा वापस प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी 2 को आवाज दिलाई गई। हाजिर नही है इसलिए अप्रार्थी 2 की अनुपस्थिति दर्ज कर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी साखून ने पत्रांक 244 दिनांक 27.11.2024 पेश कर अवगत कराया है कि पत्रावली में चाही गई मूल रिकार्ड/पत्रावली ग्राम पंचायत साखून के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

वकील प्रार्थी/ निगरानीकार ने अपनी बहस में बताया कि निगरानीकार को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड दिनांक 31.12.1974 को पूर्व राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 की धारा 71 के तहत प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। उसी भूमि का ग्रम पंचायत साखून का पूर्व में जारी किये पट्टे को भूमि पर पुनः विपक्षी नम्बर 2 के नाम जारी करने में अहम कानूनी भूल की है। निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.12.1997 की मिसल संख्या 40 के द्वारा जारी किया है उसे निरस्त फरमाया जाकर अन्य आदेश निगरानीकार के पक्ष में पारित किया जावें।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी में अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में सभी तथ्यों को साबित करने का भार था। निगरानीकार ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे की उसके कथन की ताईद हो कि किस प्रकार गैर निगरानीकार को जारी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है ओर न ही उक्त पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड न्यायालय में पेश किया है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साखून, पं0स0 दूदू के पत्रांक ग्रा.पं.साखून/2024–25/244 दिनांक 27.11.2024 अनुसार सम्पति देवी पत्नी हरसुख जाति रैगर के विरूद्ध पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.2.1998 का मूल रिकॉर्ड/पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जारी निगरानीधीन पट्टा में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1997 खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को दी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner